न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:– अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 362/2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2024/586

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
1.विशनाराम पुत्र जेठाराम	1.रामाराम उर्फ रामलाल पुत्र जेठाराम	
2.हस्तीमल पुत्र जेठाराम	जाति पालीवाल	
जाति पालीवाल	निवासी उमरलाई खालसा तहसील पचपदरा	
निवासी उमरलाई खालसा	2.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार	
तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा	पचपदरा	

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति–

1. श्री अचलाराम थोरी अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. श्री दिनेश कुमावत विप्रार्थी संख्या 01 अधिवक्ता
3. विप्रार्थी संख्या 02 अनुपस्थित

आदेश

दिनांक 22/05/2025

1.संक्षिप्त में आवेदन–पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम उमरलाई खालसा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 521/265 के प्रार्थीगण व विप्रार्थी संख्या 01 की सहखातेदारी मे अवस्थित थी। तीनो खातेदारान ने सहमति के आधार पर प्रशासन गांवो के संग अभियान 2010 मे आपसी सहमति के आधार पर बंटवाड़ा करवाया था तथा बंटवाड़ा के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार तरमीम किए जाने के बजाय उसके विपरीत तरमीम की गई। अशुद्व तरमीम के कारण पक्षकारान के मध्य विवाद बना रहता है। अतं विवादित आराजी के खसरा संख्या 521/265 से नए बने खसरा संख्या 521/265,678/521 व 679/521 की विदयमान तरमीम को निरस्त की जाकर पूर्व बंटवाड़ा के संलग्न नक्शा अनुसार तरमीम दुरूस्ती करवाने हेतु आवेदन–पत्र पेश किया गया।

2. प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिए रजिस्ट्री नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। अधिवक्ता श्री दिनेश कुमावत द्वारा विप्रार्थी संख्या 01 की ओर से वकालतनामा पेश किया तथा प्रार्थी के आवेदन को स्वीकार करते हुए निवेदन किया कि पूर्व मे हुए बंटवाड़ा मुताबिक तरमीम दुरूस्त की जावे,तो आपति नही है।

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

3.हमनें उभयपक्ष अधिवक्तो की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने आवेदन–पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि ग्राम उमरलाई खालसा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 521/265 के प्रार्थीगण व विप्रार्थी संख्या 01 की सहखातेदारी मे अवस्थित थी। तीनो खातेदारान ने सहमति के आधार पर प्रशासन गांवो के संग अभियान 2010 मे आपसी सहमति के आधार पर बंटवाड़ा करवाया था तथा बंटवाड़ा के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार तरमीम की जानी चाहिए थी,लेकिन तत्कालीन हलका पटवारी द्वारा बंटवाड़ा से विपरीत जाते हुए गलत तरमीम नक्शा मे कर दी गई। इसके कारण पक्षकारान को अपूरणीय क्षति हो रही है तथा सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त नही हो रहा है। अपनी बहस को जारी रखते हुए आगे ओर निवेदन किया कि विवादित आराजी के खसरा संख्या 521/265 से नए बने खसरा संख्या 521/265,678/521 व 679/521 की विदयमान तरमीम को निरस्त की जाकर पूर्व बंटवाड़ा के संलग्न नक्शा अनुसार तरमीम दुरूस्ती किए जाने के आदेश पारित किए जावे।

4.विपरीत विप्रार्थी संख्या 01 ने दौराने बहस निवेदन किया कि विवादित आराजी का पक्षकारान द्वारा आपसी सहमति के आधार पर बंटवाड़ा करवाया गया था तथा बंटवाड़ा के संलग्न नक्शा मुताबिक तरमीम किए जाने के बजाय इसके विपरीत तरमीम कर दी गई। जिसके कारण पक्षकारान के मध्य विवाद उत्पन्न हुआ है। अतं मे निवेदन किया कि पूर्व बंटवाड़ा नक्शा मुताबिक तरमीम दुरूस्ती किए जाने पर आपति नही है।

5.हमनें उभयपक्ष अधिवक्तो की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड व दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा तथ्यों का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया। जिसमें पाया कि पक्षकारान की ओर से विवादित आराजी का आपसी सहमति के आधार पर बंटवाड़ा प्रशासन गांवो के संग अभियान वर्ष 2010 मे दिनांक 25.12.2010 को करवाया गया था तथा बंटवाड़ के संलग्न नक्शा अनुसार मूल खसरा संख्या 265 मे हस्तीमल,रामलाल व किशनाराम को क्रमवार भूमि दी गई थी। उक्त बंटवाड़ा का नामान्तकरण संख्या 556/25.12.2010 को स्वीकृत किया गया था तथा बंटवाड़ा के मुताबिक ही रेकर्ड मे तरमीम की जानी चाहिए थी,लेकिन पत्रावली के संलग्न विदयमान तरमीम व बंटवाड़ा के संलग्न नक्शा तरमीम मे विभन्नता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि विवादित आराजी की तरमीम बंटवाड़ा नक्शा से विपरीत की गई है,जो कि पत्रावली के संलग्न दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित है। विप्रार्थी संख्या 01 अधिवक्ता द्वारा भी बंटवाड़ा नक्शा मुताबिक तरमीम दुरूस्ती किए जाने पर सहमति दी गई है। इस प्रकार प्रकरण तहसीलदार पचपदरा को रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

6.उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पंहुचा है,कि प्रार्थीगण विवादित भूमि की तरमीम दुरूस्ती करवाने के हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत होता है।

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

–आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थीगण का आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 भली भांति साबित होनें एवं सारवान होने के कारण आंशिक स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम–उमरलाई खालसा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 521/265,678/521 व 679/521 की विदयमान तरमीम निरस्त की जाती है तथा तहसीलदार पचपदरा को आदेशित किया जाता है कि विवादित आराजी का पूर्व मे बंटवाड़ा आदेश दिनांक 25.12.2010 के संलग्न नक्शा मुताबिक नये सिरे से तरमीम किए जाने के आदेश विधिनुसार पारित करें।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 22/05/2025 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा
22/05/2025